न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 108/2022 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगणः–

1.चैना पुत्र शिवा 2.सिंधू पत्नि शिवा
जाति मेघवाल, निवासी समेलों का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1.सवाई 2.रूपाराम पि.बादराराम
जाति मेघवाल, निवासी समेलों का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
3.तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री शाकर खान एच.

वकील विप्रार्थीगण :–एकतरफा

निर्णय

दिनांक 05.01.2023

प्रार्थीगण चैना पुत्र शिवा वगैरा जाति मेघवाल, निवासी समेलों का तला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा समेलों का तला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 236/88 रकबा 08.0937 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, मौके पर रहवासी ढाणी, टांका, [illegible]यों के बाड़े आदि बने हुए है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने [illegible] के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे [illegible] अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा नं. 234/87 मौजा समेलों का तला में से रास्ता दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:36:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। वकील प्रार्थीगण रास्ते के संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया। जिसे स्वीकार कर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया ।

प्रार्थीगण वकील की ओर से एक प्रार्थना पत्र अनवान संशोधन बाबत पेश किया गया। जिसे स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण वकील की ओर से संशोधित शीर्षक पेश किया गया। संशोधित शीर्षक अनुसार विप्रार्थी सं. 2 की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। जिसकी तलबी प्राप्त हुई। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है, तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	[illegible]	[illegible]	7	8
1	234/87	3.2375	बा.सो.	[illegible] फीट	[illegible] हैक्टेयर ([illegible]6 बीघा)	[illegible] का तला	सवाई 1/2, रूपाराम 1/2 पि. बादरा, कौम मेघवाल, सा.देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:36:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को खसरा नं. 234/87 के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में सम[illegible]ने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक [illegible] निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर[illegible] दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि[illegible] अलग अलग गणना की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:36:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 05.01.2023 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शु[illegible] संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:36:00 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम ॥)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नक्शा मौका हाल

समेलो का नला - [illegible]

[illegible] 1022:22 में [illegible]

[illegible] हाल

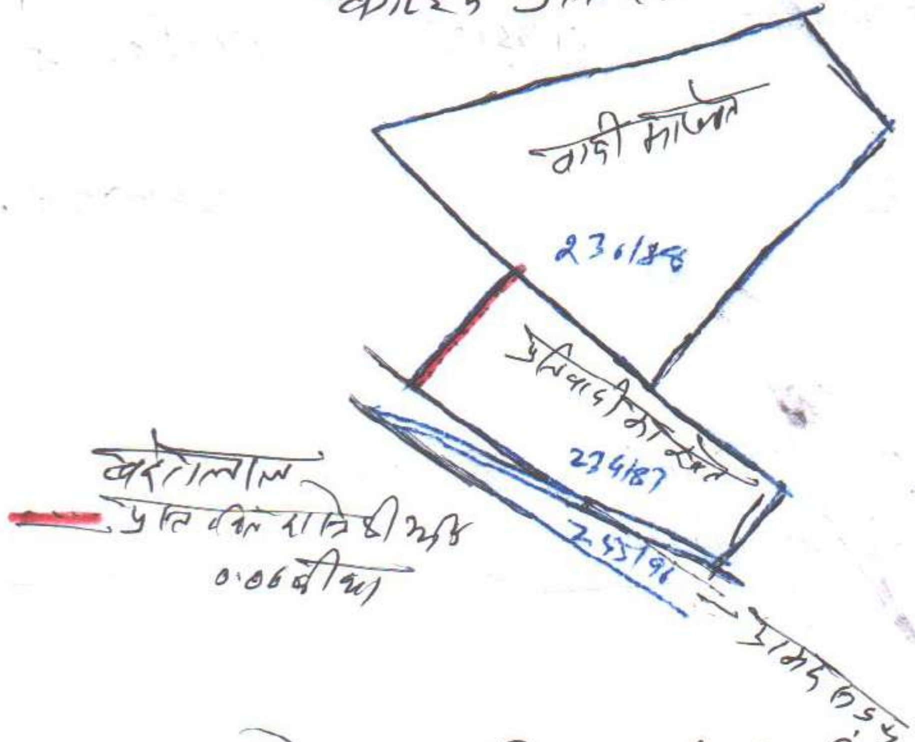

Ex-count

(स)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नक्शा मौके पर उपस्थित सभी को दिखाया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए वादीगण और मौतबरान ने स्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर किये। नक्शा [illegible] [illegible] [illegible] जो [illegible] के शामिल रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:36:00 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

पं. मी.[illegible]